रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1994/भाद्र 21, 1916
NO. 457] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1994/BHADRA 21, 1916

## पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1994

का.आ. 666(अ) :—तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6क की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 अप्रैल, 1990 से आरम्भ होने तथा 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केसिंग हैड कन्डैन्सेट के संबंध में देय रायल्टी की दर में वृद्धि करती है और तदनुसार उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिनियम की अनुसूची में मद संख्या 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिये 01 अप्रैल, 1990 को आरम्भ होने तथा 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि

के लिये निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी और इसे प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 1990 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा :—

"2. कैसिंग-हैड कन्डेन्सेट : 01 अप्रैल, 1990 से आरम्भ होने तथा 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये चार सौ इक्यासी रुपये प्रति मीट्रिक टन।"

व्याख्या :— चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये गठित समिति के प्रतिवेदन की परीक्षा करने और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने आदि में कुछ समय लग गया, अतः रायल्टी की दर में भूतलक्षी प्रभावी तारीख से संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तेल उत्पादक राज्यों को लाभ हो रहा है और अन्य राज्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

[फाइल संख्या ओ-22013/3/91—ओ एन जी/डी-3 (वाल्यूम 2)]

नजीब जंग, संयुक्त सचिव

नोट :—रायल्टी की दरों के संबंध में अनुसूची 1969 के अधिनियम 39 के द्वारा जोड़ी गई थी और रायल्टी की दर में पहली बार वृद्धि का.आ.सं. 465 दिनांक 27 फरवरी, 1973 के द्वारा की गई थी और जिनमें बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे :—

(1) का.आ. 600(अ), दिनांक 08 सितम्बर, 1976

(2) का.आ. 219(अ), दिनांक 26 मार्च, 1981

(3) का.आ. 107(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1991

(4) का.आ. 91(अ), दिनांक 05 फरवरी, 1993

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1994

S.O. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby enhances for the period beginning on the 1st day of April, 1990 and ending on the 31st day of March, 1993, the rate at which royalty shall be payable in respect of casing-head condensate and accordingly makes the following further amendment in the Schedule to the said Act, namely :—

In the Schedule to the said Act, for item 2 and the entry relating thereto, the following item and entry for the period beginning on the 1st day of April, 1990

and ending on the 31st day of March, 1993, shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1990, namely :—

"2. Casing-head condensate : Rupees four hundred and eighty one per metric tonne for the period beginning on the 1st day of April, 1990 and ending on the 31st day of March, 1993."

EXPLANATORY NOTE :—Since the examination of the report of the Committee constituted by the Central Government for the purpose and consultations with the concerned State Governments etc., took some time, it has become necessary to revise the rate of royalty with retrospective effect. The oil producing States stand to benefit and the other States are not to be adversely affected.

[F. No. O-22013|3|91-ONG|D. III (Vol.II]
NAJEEB JUNG, Jt. Secy.

Foot Note :—The Schedule in respect of rates of royalty was inserted vide Act No. 39 of 1969 and the rate of royalty was for the first time enhanced vide No. S.O. 465, dated the 27th February, 1973 and subsequently amended vide No. :—

(1) S.O. 600(E), dated the 8th September, 1976.

(2) S.O. 219(E), dated the 26th March, 1981.

(3) S.O. 107(E), dated the 18th February, 1991.

(4) S.O. 91(E), dated the 5th February, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994